राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-2227033

क्रमांक एफ 61(3) SSAAT/E.C./Meeting/2019/1315 जयुपर दिनांक:- 18.08.2025

सोसायटी की कार्यकारी समिति (EC) की पंचम बैठक दिनांक 11.08.2025
कार्यवाही विवरण

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की कार्यकारी समिति (Executive Committee) की पंचम बैठक श्रीमती श्रेया गुहा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में दिनांक 11.08.2025 को दोपहर 11.30 बजे कमरा नंबर 104, नेहरू भवन, HCM-RIPA, JLN Marg, जयपुर में आयोजित हुई जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण ने भाग लिया :–

क्रसं	नाम अधिकारी	पद	EC में पद
1.	श्रीमती श्रेया गुहा	अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	अध्यक्ष
2.	श्रीमती नेहा गिरी	शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं आयुक्त, महात्मा गॉधी नरेगा, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
3.	श्री आशीष मोदी	निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
4.	डा. जोगाराम	आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग	सदस्य
5.	श्री सांवर मल वर्मा	निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)	सदस्य सचिव
6.	श्री सोहन लाल मीणा	वरिष्ठ शासन उप सचिव, श्रम विभाग	प्रतिनिधि
7.	श्री रतन लाल वर्मा	मुख्य लेखाधिकारी, (SSAAT)	सदस्य
8.	श्री संतोष सिंह	सामाजिक विकास विशेषज्ञ, (SSAAT)	सदस्य
9.	श्री इकबालुद्दीन	राज्य संसाधन व्यक्ति, SSAAT	सदस्य
10.	श्री राकेश भार्गव	राज्य संसाधन व्यक्ति, SSAAT	सदस्य
11.	श्रीमती सोनिया साहू	राज्य संसाधन व्यक्ति, SSAAT	सदस्य
12.	श्रीमती सबा हाशमी	राज्य संसाधन व्यक्ति, SSAAT	सदस्य
13.	श्री अभिषेक सिसोदिया	राज्य संसाधन व्यक्ति, SSAAT	सदस्य
14.	श्री नरेन्द्र कुमार जोशी	राज्य संसाधन व्यक्ति, SSAAT	सदस्य

सर्वप्रथम निदेशक सामाजिक अंकेक्षण, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी द्वारा अध्यक्ष महोदया एवं अन्य समस्त सदस्यों का स्वागत किया तथा सभी सदस्यों का परिचय करवाया गया। निदेशक द्वारा सोसायटी के बारे में अब तक के किया कलापों का प्रगति विवरण प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात कार्यकारी समिति में PPT के माध्यम से एजेन्डा वार विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय किए गये :–

बिन्दु सं.	बिन्दुवार विवरण
1.	**कार्यकारी समिति (EC) की चतुर्थ बैठक दिनांक 06.09.2021 के कार्यवाही विवरण (Minutes) की पुष्टि :–** कार्यकारी समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 06.09.2021 के कार्यवाही विवरण का अवलोकन एवं विचार विमर्श कर इसकी पुष्टि की गयी ।

2.	**कार्यकारी समिति (EC) की चतुर्थ बैठक दिनांक 06.09.2021 में लिए गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन :–** कार्यकारी समिति (EC) की चतुर्थ बैठक दिनांक 06.09.2021 में लिए गये निर्णयों की **पालना रिपोर्ट** (Action Taken Report) का अवलोकन किया गया एवं पूर्ण संतोष व्यक्त किया गया।
3.	**सोसायटी द्वारा किये जा रहे कार्यो का अवलोकन :–** सोसायटी द्वारा आलोच्य अवधि में निम्न योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण कार्य किया गया है :–

3.1 महात्मा गांधी नरेगा योजना :–

क.सं.	वित्तीय वर्ष	सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रस्तावित ग्राम पंचायत	अंकेक्षित ग्राम पंचायत	विशेष विवरण
1.	2022–23	11273	11249	24 ग्राम पंचायतो का नगरपालिका बन जाने के कारण सामाजिक अंकेक्षण नहीं कराया गया।
2.	2023–24	11251	11222	29 ग्राम पंचायतो का नगरपालिका बन जाने के कारण सामाजिक अंकेक्षण नहीं कराया गया।
3.	2024–25	11208	11192	16 ग्राम पंचायतो का नगरपालिका बन जाने के कारण सामाजिक अंकेक्षण नहीं कराया गया।

3.2 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

क. सं.	वित्तीय वर्ष	सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रस्तावित ग्राम पंचायत	अंकेक्षित ग्राम पंचायत	अंकेक्षण हेतु शेष ग्राम पंचायत	मांग की गई राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि
1.	2023–24	11222	6521	4701	3,83,57,500	**दिनांक 01.01.2025 को राशि रू0 3,83,57,500 प्राप्त हुए।**	4,39,300/– का संसाधन व्यक्तियों को भुगतान किया गया ।
2.	2024–25	11222	प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विभाग से पूर्ण आवासों की संख्या प्राप्त होने पर दिनांक 1 अक्टूबर, 2025 से सामाजिक अंकेक्षण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।				

3.3 स्वच्छ भारत मिशन

क. सं.	वित्तीय वर्ष	सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रस्तावित ग्राम पंचायत	अंकेक्षित ग्राम पंचायत	अंकेक्षण हेतु शेष ग्राम पंचायत	मांग की गई राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	विशेष विवरण
1.	2022–23	11301	11301	–	1,35,06250	1,35,06250	87,65,385	
2.	2023–24	11122	3864	7358	–	–	–	
3	2024–25	11222	3754	7468	–	–	–	

3.4 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

क. सं.	वित्तीय वर्ष	सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रस्तावित आवासों	अंकेक्षित आवासों की संख्या	अंकेक्षण हेतु शेष आवासों की	मांग की गई राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	विशेष विवरण

		की संख्या		संख्या				
1.	2022—23	4848 AHP Houses	4848 AHP Houses	—	6,42,000	6,42,000	5,57,450	
2.	2023—24	2391 BLC Houses	2391 BLC Houses	—	5,37,850	5,37,850	4,64,100	
3	2024—25	945 BLC Houses	—	945	2,00,000	2,00,000	—	वित्तीय वर्ष 2025—26 मे सामाजिक अंकेक्षण करवाया जाना प्रस्तावित है।

3.5 15 वाँ वित्त आयोग

क. सं.	वित्तीय वर्ष	सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रस्तावित ग्राम पंचायत	अंकेक्षित ग्राम पंचायत	गूगल लिंक पर रिपोर्ट अपलोड स्थिति	अंकेक्षण हेतु शेष ग्राम पंचायत	मांग की गई राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि
1.	2021—22 2022—23	9400	8776	1803	—	2,19,40,000	21,27,500	Nil
2.	2023—24	4014	4014	3733	—	—	—	Nil
3	2024—25	2719	2719	1903	—	—	—	Nil

प्रावधान अनुसार तीन वर्षो में सभी ग्राम पंचायतो का कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य है अतः वर्ष 2021—22 से 2024—25 तक अंकेक्षित ग्राम पंचायत 7439 जिनकी सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट गूगल लिंक पर अपलोड हो चुकी है के संबंध में राशि की मांग संबंधित जिला परिषद से की जाने की कार्यवाही की जायेगी।

3.6 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित निम्न 4 योजनाओं का वर्ष 2023—24, 2024—25 नीचे अंकित तालिका के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण किया गया है।

(1) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्योदय योजना (PMAJAY))
(2) IRCA के तहत संचालित नशा मुक्ति केन्द्र
(3) अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) के तहत संचालित वृद्धाश्रम
(4) श्रेष्ठा (SHRESHTA) के तहत संचालित आवासीय विद्यालयों का अंकेक्षण किया गया।

क. सं.	वित्तीय वर्ष	सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रस्तावित आदर्श ग्राम /संस्थान	अंकेक्षित आदर्श ग्राम /संस्थान	अंकेक्षण हेतु शेष ग्राम /संस्थान	मांग की गई राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	विशेष विवरण
1	2023—24	67	64		15,15,675	15,15,675	7,88,700	3 संस्थाएं बन्द होने

								के कारण सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया जा सका
2.	2024–25	42	40	2	13,83,893	6,91,946	Nil	शेष 2 आदर्श ग्राम/संस्था का सामजिक अंकेक्षण किया जाना है।

3.7 वर्ष 2024–25 में भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से अन्य निम्न 6 योजनाओं के 33 संस्थाओं का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है।

1. **प्री मेट्रिक छात्रवृति**
2. **पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति**
3. **अनुसूचित जाति/जनजाति के विरूद्ध हुई ज्यादती के मामलों का सामाजिक अंकेक्षण**
4. **अर्न्तजातीय विवाह से संबंधित प्रकरण**
5. **एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की ओर से दिये गये ऋण के मामले**
6. **ट्रांसजेन्डर के लिये गरिमा गृह संस्थाओं की जांच**

उक्त प्रकरण/संस्थाओं का सामाजिक अंकेक्षण इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना है।

3.8 मिड डे मील योजना – का सामाजिक अंकेक्षण एवं भुगतान संबंधी विवरण

क. सं.	वित्तीय वर्ष	सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रस्तावित स्कूल	अंकेक्षित स्कूल जिनकी गूगल लिंक पर रिपोर्ट अपलोड हो चुकी है	अंकेक्षण हेतु शेष स्कूल	गूगल लिंक पर अपलोड सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट अनुसार मांग की गई राशि	प्राप्त राशि	बकाया राशि
1	2021–22	705	-	—	—	—	—
2	2022–23	11301	3072	—	38,40,000	25,03,250	13,36,000
3	2023–24	589	589		7,36,250	Nil	7,36,250
	योग				45,76,250	25,03,250	20,72,250

वर्ष 2023–24 में सोसायटी की ओर से शिक्षा विभाग से चाही गई सूचना व अंकेक्षित विद्यालयों का भुगतान प्राप्त नहीं होने के कारण सामाजिक अंकेक्षण कार्य स्थगित किया गया है।

उपरोक्त सभी योजनाओं के संबंध में निदेशक, SSAAT तथा योजनाओं के प्रभारी अधिकारीगण द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के साथ साथ सोसायटी स्तर पर किये जा रहे अन्य कार्यो का बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई एवं किये जा रहे कार्यो का अवलोकन कराया गया।

4. **सोसायटी द्वारा वित्त विभाग को वर्ष 2021—22 से 2025—26 हेतु प्रस्तुत बजट प्रस्ताव एवं संशोधित बजट प्रस्तावों का अनुमोदन कराना :—**

(राशि सहस्त्रो में)

क.सं	वर्ष	बजट प्रावधान		प्रारंभिक शेष राशि	भारत सरकार से प्राप्त वास्तविक राशि	व्यय राशि	अंतिम शेष राशि
		BE	RE				
1-	2021-22	2	135133	123485	-	56954	71058
2-	2022-23	303460	303460	71058	-	65436	3772
3-	2023-24	2	267290	3772	123527	13100	11609
4-	2024-25	325641	250000	11609	83750	83900	30562
5-	2025-26	320000	-	30562	114141	43535 (upto July 2025)	

सोसायटी द्वारा वर्ष 2021—22 से 2024—25 तक के वित्त विभाग को प्रस्तुत किये बजट प्रस्ताव एवं संशोधित बजट प्रस्ताव तथा वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधानो का अध्यक्ष महोदया एवं अन्य सदस्यों को अवलोकन कराते हुए अवगत कराया गया कि सोसायटी द्वारा बजट प्रावधानों के तहत ही कार्य सम्पादित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023—24 तक के लेखों की CA ऑडिट कराये जाने की जानकारी दी गई है।

उपरोक्त सभी दस्तावेजो का कार्यकारी समिति द्वारा बाद अवलोकन एवं विचार विमर्श के सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

5. **निम्न योजनाओं से संबंधित सामाजिक अंकेक्षण कराने / न कराने और न कराने का अनुमोदन :—**

5.1 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 :—

निदेशक एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव द्वारा पत्र संख्या 7645—83 दिनांक 14.02.2024 के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 का सामाजिक अंकेक्षण करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। उक्त योजना के सामाजिक अंकेक्षण हेतु सोसायटी की ओर से कुल 55 राज्य तथा जिला संसाधन व्यक्ति को प्रशिक्षण दिये जाने के बाद राज्य के 5 जिलो (बाडमेर, उदयपुर, जोधुपर, प्रतापगढ, नागौर) की 42 पंचायत समितियों के 197 गाम पंचायतो में पायलेट बेसिस पर सामाजिक अंकेक्षण करवाने हेतु सहमति प्रदान की गई एवं सामाजिक अंकेक्षण हेतु सोसायटी की ओर से प्रशासनिक व्यय राशि सहित 10,75,600/— के बजट की मांग पत्र कमांक 6853 दिनांक 19.11.2024 को विभाग को भिजवाया गया है। परन्तु अभी तक विभाग से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सामाजिक अंकेक्षण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया।

इस संबंध में अध्यक्ष महोदया द्वारा शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु व निदेशक को विभागाध्यक्ष से समन्वय कर सामाजिक अंकेक्षण हेतु राशि प्राप्त कर सामाजिक अंकेक्षण अविलम्ब कराये जाने के निर्देश दिये।

5.2 समग्र शिक्षा योजना :—

समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्य की 69401 राजकीय विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आगामी पांच वर्षो में सम्पादित कराने के संबंध में राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के कार्यालय में आयोजित बैठक दिनांक 24.01.2024 के क्रम में सोसायटी की ओर से प्रथम वर्ष में 8000 विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने हेतु दिनांक 18.11.2024 को राशि 3,40,20000 की मांग की गई थी। उक्त योजना के सामाजिक अंकेक्षण हेतु सोसायटी के 66 संसाधन व्यक्तियों को मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण NCERT दिल्ली द्वारा करवा दिया गया है एवं मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से सोसायटी द्वारा राज्य के समस्त जिलो में कुल 941 CSA (Cluster Social Auditors) को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। इसके बाद विभाग को लगातार राशि आवंटन हेतु पत्राचार किया गया परन्तु विभाग की ओर से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सामाजिक अंकेक्षण प्रारम्भ नहीं किया जा सका हैं।

सोसायटी द्वारा राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को दिनांक 5.12.2024 को पत्र प्रेषित कर राज्य के प्रत्येक ब्लॉक से SAFT समिति की सूचना प्रेषित करने के लिए लिखा गया था इस संबंध में दिनांक 11.03.2025 को राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त स्कूल शिक्षा परिषद से उक्त सूचना प्राप्त हो गई है। वर्ष 2025–26 में योजना के सामाजिक अंकेक्षण हेतु वांछित बजट राशि रू. 3,02,10,180 प्राप्त होने पर योजना का सामाजिक अंकेक्षण प्रारम्भ किये जाने का कार्य किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदया के द्वारा इस संबंध में शासन सचिव शिक्षा विभाग तथा राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को पत्र लिखे जाने के निर्देश दिये।

5.3 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित निम्न 4 योजनाओं का वर्ष 2023–24 व 2024–25 में बिन्दु संख्या 3.6 के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण किया गया है।

(1) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्योदय योजना (PMAJAY))
(2) IRCA के तहत संचालित नशा मुक्ति केन्द्र
(3) अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) के तहत संचालित वृद्धाश्रम
(4) श्रेष्ठा (SHRESHTA) के तहत संचालित आवासीय विद्यालय

उक्त योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा/लाभार्थी सभा के सफल आयोजन कराये जाने के बाद जिला स्तरीय जनसुनवाई करवाई जा चुकी है तथा राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय सभा करवाया जाना शेष है। इस संबंध में सोसायटी स्तर से राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय सभा आयोजित की जाने की प्रक्रियाधीन है। प्रभारी अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सभी लक्षित योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण किये जाने हेतु राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना आवश्यक है ताकि जिन योजनाओं में भारत सरकार के मंत्रालय की ओर से सीधे लाभार्थी संस्था को राशि स्थान्तरित की जाती है के सामाजिक अंकेक्षण किये जाने हेतु जिला स्तर पर विभाग के अधिकारी की ओर से आवश्यक सहयोग प्राप्त हो सके।

इस संबंध में अध्यक्ष महोदया के द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को उनकी ओर से पत्र लिखे जाने व निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को राज्य स्तर पर उपरोक्त योजनाओ के लिये एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये ताकि सोसायटी एवं विभाग में समन्वय स्थापित हो सके।

5.4 भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की योजनाओं (BOCW)

श्रम कल्याण विभाग से उपरोक्त योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने का प्रस्ताव दिनांक 28 फरवरी 2024 प्राप्त होने पर मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण उपरान्त सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु बजट राशि संबंधित विभाग से मांगी गयी है। हनुमानगढ जिले में पायलट योजना के रूप में सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने हेतु अनुमानित बजट राशि 18,67,740 ग्रामीण क्षेत्र प्रति ग्राम दो दिवस हेतु तथा शहरी क्षेत्र के लिए 9450 रूपये प्रति वार्ड दो दिवस के अनुसार अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त सचिव, श्रम विभाग को राजकाज पत्र संख्या 16930101 दिनांक 01.08.2025 को भिजवाया गया है। बजट प्राप्त होने के बाद सामाजिक अंकेक्षण कार्य प्रारम्भ किये जाने का अवगत कराया गया।

इस संबंध में अध्यक्ष महोदया द्वारा शासन सचिव श्रम व कल्याण विभाग को पत्र लिखे जाने व निदेशक को आयुक्त श्रम व कल्याण विभाग से समन्वय कर सामाजिक अंकेक्षण हेतु राशि उपलब्ध करवाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये।

5.5 NSAP Pension Schemes

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर की ओर से एनएसएपी की पेन्शन योजनाओ का सामाजिक अंकेक्षण करवाये जाने का प्रस्ताव दिनांक 20.5.2024 को प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभागीय अधिकारियों के साथ दिनांक 14.6.2024 आयोजित बैठक में यह तथ्य सामने आया है कि राज्य में करीब 12,50,000 सामाजिक सुरक्षा पैंशनधारी है जिनका सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है। इतने वृहद स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण करने हेतु सोसायटी में मानवीय एवं भौतिक संसाधनो की कमी को देखते हुए उक्त योजना के लाभार्थियों का सामाजिक अंकेक्षण वर्तमान परिस्थिति में असमर्थता जताई गई।

उक्त विषय पर कार्यकारी समिति में बाद विचार विर्मश निर्णय लिया गया कि विभाग की ओर से पायलट बेसिस पर सामाजिक अंकेक्षण किये जाने की कार्यवाही सोसायटी द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से समन्वय कर प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही की जाये।

5.6 Mid-Day-Meal योजना सामाजिक अंकक्षण करने हेतु मिड–डे–मील विभाग के साथ दिनांक 04.07.2023 को मीटिंक आयोजित की गई जिसमें रिपोर्ट अपलोड संबंधित एमआईएस पोर्टल पर शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं पूर्व में करवाये गये सामाजिक अंकेक्षण का भुगतान हेतु विभाग को अवगत कराया गया था। लेकिन विभाग द्वारा चाही गई सूचना नहीं भिजवाने के कारण माह सितम्बर 2023 को सामाजिक अंकेक्षण कार्य स्थगित कर दिया गया था। सोसायटी की ओर से चाही गई सूचना एवं बकाया भुगतान भिजवाने के स्थान पर आयुक्त मिड–डे–मील की ओर से पत्र दिनांक 15.07.2025 इस आशय का प्राप्त हुआ कि वर्ष 2024–25 के लिए सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में अत्यधिक विलम्ब किये जाने व एसएसएएटी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर सामाजिक अंकेक्षण नहीं किये जाने के कारण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में सामाजिक अंकेक्षण कार्य के लिये किसी अन्य सक्षम एजेन्सी को चयनित किया गया हैं इसलिए सोसायटी की ओर से भिजवाये गये प्रस्ताव को अस्वीकार किये जाने का अवगत कराया गया है।

कार्यकारी समिति द्वारा आयुक्त मिड–डे–मील से प्राप्त पत्र दिनांक 15.7.2025 का अवलोकन किया गया व विभाग की ओर से प्राप्त पत्र के क्रम में सोसायटी की ओर से सामाजिक अंकेक्षण नहीं किये जाने का अनुमोदन किया गया है तथा पूर्व में किये गये सामाजिक अंकेक्षण कार्य के बकाया राशि रूपये 20,72,250/– भिजवाने हेतु शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखे जाने के निर्देश दिये गये।

6. **प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सामाजिक अंकेक्षण उपरान्त रिपोर्ट अपलोडिंग हेतु MIS Software Development हेतु बजट आंवटन।**

सोसायटी की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने आवासों का राज्य की सभी पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण किया जा रहा है। सामाजिक अंकेक्षण के बाद रिपोर्ट गूगल लिंक के माध्यम से सोसायटी में प्राप्त होती है। गूगल लिंक पर अत्यधिक रिपोर्ट अपलोड होने व गुगल लिंक का डाटा एक साथ संधारित नहीं होने के कारण प्रत्येक रिपोर्ट को अलग–अलग जिलेवार खोलकर देखना पड़ता है। इस कारण सामाजिक अंकेक्षण दल को भुगतान किये जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में योजना प्रभारी की तरफ से प्रस्ताव दिया गया कि योजनान्तर्गत बने आवासों का सामाजिक अंकेक्षण करने के बाद अंकेक्षण रिपोर्ट संबंधित विभाग के एमआईएस पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु या तो सोसायटी को लिंक उपलब्ध कराया जाये अथवा सोसायटी की ओर से इस हेतु अलग से सोफ्टवेयर बनाया जाए।

उक्त प्रस्ताव का कार्यकारी समिति द्वारा अवलोकन करने के बाद निर्णय लिया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के नोडल अधिकारी को पत्राचार किया जावे व यदि विभाग की वेबसाईट का लिंक उपलब्ध नहीं होता है तो सोसायटी की ओर से उपरोक्त योजना के साथ अन्य योजनाएं जिनका सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है की रिपोर्ट अपलोड किये जाने हेतु एमआईएस साफ्टवेयर बनाये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

7.	**सोसायटी द्वारा सम्पादित नियमित सामाजिक अंकेक्षण वर्ष 2022—23 से 2024—25 (31.03.2025 तक) तथा विभिन्न योजनान्तर्गत करवाये गये सामाजिक अंकेक्षण कार्य का अवलोकन कर अनुमोदन करवाया गया।**

क.सं.	वित्तीय वर्ष	सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रस्तावित ग्राम पंचायत	अंकेक्षित ग्राम पंचायत	विशेष विवरण
1.	2022—23	11273	11249	24 ग्राम पंचायतो का नगरपालिका बन जाने के कारण सामाजिक अंकेक्षण नहीं कराया गया।
2.	2023—24	11251	11222	29 ग्राम पंचायतो का नगरपालिका बन जाने के कारण सामाजिक अंकेक्षण नहीं कराया गया।
3.	2024—25	11208	11192	16 ग्राम पंचायतो का नगरपालिका बन जाने के कारण सामाजिक अंकेक्षण नहीं कराया गया।
4.	2025—26	11192	5905	शेष ग्राम पंचायतो का सामाजिक अंकेक्षण किया जा रहा है।

अन्य योजनाओं यथा— प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व शहरी, 15वॉं वित्त आयोग, मिड डे मील, MOSJE जिनका उल्लेख एजेण्डा के बिन्दु संख्या 3 में किया गया है का अवलोकन कराया गया।

कार्यकारी समिति द्वारा बाद अवलोकन सोसायटी द्वारा उपरोक्त योजनाओं में किये गये सामाजिक अंकेक्षण का अनुमोदन किया गया।

8 **सनदी लेखाकार (Chartered Accountant) की नियुक्ति एवं दिये गये पारिश्रमिक के अनुमोदन के साथ—साथ सी.ए. द्वारा सोसायटी के वर्ष 2021—22 से 2023—24 तक के लेखों से संबंधित दस्तावेज के अंकेक्षण प्रतिवेदन (C.A. Report) का अवलोकन एवं अनुमोदन।**

8.1 सोसायटी के वित्तीय वर्ष 2021—22 से 2023—24 के वार्षिक लेखो हेतु सनदी लेखाकार की नियुक्ति मानदेय तथा वार्षिक लेखो का अवलोकन एवं अनुमोदनः—

सोसायटी के वित्तीय वर्ष 2021—22 के वार्षिक लेखो हेतु मैसर्स AR Bhansali & Co., Chartered Accountant तथा वर्ष 2022—23 व 2023—24 हेतु मैसर्स ABH & Co (Chartered Accountant) सनदी लेखाकार की नियुक्ति, वार्षिक लेखो के संधारण किये जाने एवं देय मानदेय क्रमशः वित्तीय वर्ष 2022—23 हेतु रू. 4,00,000+GST, वित्तीय वर्ष 2023—24 हेतु रू. 3,60,000+GST एवं वित्तीय वर्ष 2024—25 में 3,75,000+GST का भुगतान किये जाने व सनदी लेखाकार द्वारा तैयार वार्षिक लेखो का अवलोकन कराया गया।

कार्यकारी समिति द्वारा उक्त तीनो वर्षो हेतु सोसायटी की ओर से की गई सनदी लेखाकार की नियुक्ति, मानदेय एवं सनदी लेखाकार द्वारा तैयार वार्षिक लेखो का अवलोकन कर बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।

8.2 सोसायटी के वर्ष 2021—22 से 2023—24 के अंकेक्षण हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति, मानदेय तथा लेखो की अंकेक्षण रिपोर्ट का अवलोकन एवं अनुमोदन :—

सोसायटी के वर्ष 2021—22 से 2023—24 के अंकेक्षण हेतु नियन्त्रण महालेखापरीक्षक कार्यालय से एम्पेनल्ड सूची में से वित्तीय वर्ष 2021—22 हेतु मैसर्स Ashish Sharma & Co. Chartered Accountans, वित्तीय वर्ष 2022—23 एवं 2023—24 हेतु मैसर्स Ajay Kumar Vijayavargia & Associates, Chartered Accountans की नियुक्ति अंकेक्षक के बतौर किये जाने एवं तीनो वर्षो के लिये देय मानदेय राशि क्रमशः संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन अध्यक्ष महोदया, कार्यकारी समिति से करवाया जाकर सोसायटी द्वारा उक्त वर्षो का अंकेक्षण कार्य सम्पादित करवा लिये जाने की जानकारी दी गई।

कार्यकारी समिति द्वारा सोसायटी की ओर स लेखों की अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु की नियुक्ति, इनको देय मानदेय एवं अंकेक्षण रिपोर्ट का अवलोकन कर बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।

9. **जिला संसाधन व्यक्तियों को जिला परिषद में बैठने एवं राजकार्य सम्पादित करने हेतु आवश्यक स्टेशनरी सामग्री, कम्प्युटर, अलमारी आदि उपलब्ध कराने हेतु जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखे जाने के संबंध में।**

	निदेशक SSAAT द्वारा अवगत कराया गया कि सामाजिक अंकेक्षण कार्य की मोनिटरिंग हेतु जिला स्तर पर नियुक्त जिला संसाधन व्यक्तियों के बैठने, राजकार्य सम्पादित करने तथा रिपोर्ट भिजवाये जाने कठिनाई होने के संबंध में जिला संसाधन व्यक्तियों द्वारा अवगत कराया जाता रहा है अतः जिलों में नियुक्त जिला संसाधन व्यक्तियों के जिला परिषद् कार्यालय में बैठने, राजकार्य सम्पादन हेतु स्टेशनरी उपलब्ध कराने तथा कम्पयूटर आदि की सुविधा दिलवाये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में अध्यक्ष महोदया द्वारा समस्त जिला परिषदो के अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारीगण को उनकी ओर से पत्र लिखे जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
10.	**विशेष परिस्थितियों में सामाजिक अंकेक्षण दल का एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों के सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु जाने – आने हेतु वास्तविक यात्रा व्यय का पुनर्भरण।** निदेशक SSAAT द्वारा अवगत कराया गया है कि कई जिलों/पंचायत समितियों में सामाजिक अंकेक्षण हेतु बीआरपी व वीआरपी उपलब्ध नहीं होने के कारण एक जिले से दूसरे जिले में व एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में आवश्यकता अनुसार नियोजित किये जाते है। इस तरह नियोजित किये जाने वाले संसाधन व्यक्तियों को की गई यात्रा के संबंध में किसी प्रकार का कोई भत्ता दिये जाने का अभी कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए संसाधन व्यक्तियों द्वारा एक जिले से दूसरे जिले व एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में जाने में असमर्थता व्यक्त की जाती है। इस संबंध मे प्रस्ताव दिया गया है कि विशेष परिस्थितियों में संसाधन व्यक्तियों को भिजवाये जाने पर वास्तविक यात्रा व्यय राशि का पुर्नभरण किया जावे। उक्त प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति द्वारा सैद्धांतिक सहमति देते हुए निर्देश दिये कि अन्य राज्यों में देय यात्रा भत्ता नियमों के साथ तुलनात्मक विवरण तैयार कर औचित्य पूर्ण प्रस्ताव वित्त विभाग को अनुमोदन हेतु भिजवाये जावें।
11.	**सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं समस्त संसाधन व्यक्तियों (राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय एवं ग्राम स्तरीय) के मानदेय वृद्धि का नियम बनाना :–** **निदेशक SSAAT द्वारा** अवगत कराया गया है कि राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति, ब्लाक संसाधन व्यक्ति व ग्राम संसाधन व्यक्तियों की ओर से उन्हे दिये जा रहे मानदेय राशि में वृद्धि किये जाने व अन्य सुविधाएं दिये जाने बाबत सोसायटी कार्यालय में विभिन्न संगठनों/जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव प्राप्त होते रहे है जिनमें उल्लेख किया गया है कि अन्य राज्यों में संसाधन व्यक्तियों को राजस्थान राज्य से अधिक मानदेय दिया जा रहा है। राज्य की ओर से मानदेय का निर्धारण वर्ष 2014 में किया गया थां उसके बाद बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। अतः संसाधन व्यक्तियों को दिये जा रहे मानदेय में वृद्धि किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जावे। कार्यकारी समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव का अवलोकन करने व बाद विचार विर्मश सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए वर्तमान में देय मासिक मानदेय में 10% वार्षिक वृद्धि किये जाने का अनुमोदन करते हुए अनुमोदन हेतु ओचित्यपूर्ण प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाने के निर्देश दिये गये। अन्य सुविधाओ के संबंध में निर्देश दिये गये कि अन्य राज्यों में दी जा रही सुविधाओं के संबंध में सूचना प्राप्त कर औचित्यपूर्ण प्रस्ताव कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में रखे जावें।
12.	जिला संसाधन/ ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को क्रमशः सामाजिक अंकेक्षण की मोनेटरिंग/अंकेक्षण कार्य हेतु अन्य जिलों में कार्य व्यवस्थार्थ लगाने हेतु निदेशक **(SSAAT)** को अधिकृत किये जाने के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव को अध्यक्ष महोदया कार्यकारी समिति द्वारा आगामी बैठक में रखे जाने के लिए स्थगित (deffer)किया गया।
13.	सोसायटी कार्यालय में कार्य की अधिकता के कारण मंत्रालयिक कार्मिकों (सहायक प्रशासनिक अधिकारी का 1 पद, वरिष्ठ सहायक का 1 पद एवं कनिष्ठ सहायक के 2 पद) तथा सहायक कर्मचारियों के 2 अतिरिक्त पद स्वीकृत कराये जाने का निर्णय। उक्त प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति द्वारा सैद्धान्तिक सहमति देते हुए इस संबंध में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

	उक्त प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति द्वारा सैद्धान्तिक सहमति देते हुए इस संबंध में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।
14	**अन्य विषय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से –** 14.1 निदेशक SSAAT द्वारा अवगत कराया गया कि सोसायटी में वर्तमान में निदेशक, मुख्य लेखाधिकारी, 1 प्रोग्रामर, एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी (03 सहायक लेखाधिकारी प्रथम, 2 सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, 10 कनिष्ठ लेखाकार, 1 निजी सचिव, 1 निजी सहायक, 1 सलाहकार, 2 सहायक प्रोग्रामर, 1 सहायक प्रशासनिक अधिकारी, 2 कनिष्ठ सहायक, 1 सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं 6 राज्य संसाधन व्यक्ति सहित 33 अधिकारी/कार्मिक कार्यरत हैं। जिन्हें ऑनलाइन राजकाज पर कार्य करने हेतु कम्प्यूटर की आवश्यकता रहती है। वर्तमान में 12 कम्प्यूटर किरायें पर, 6 मैन विथ मशीन तथा 5 कम्प्यूटर सोसायटी के स्थापित हैं। सभी कार्मिकों हेतु आनलाइन राजकार्य संपादन हेतु कम्प्युटर की आवश्यकता को देखते हुए 09 कम्प्यूटर किराये पर लिया जाना प्रस्तावित है। **कार्यकारी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए औचित्य पूर्ण प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।** 14.2 अध्यक्ष महोदया कार्यकारी समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि सोसायटी की ओर से जिन विभागों की योजनाओं का सामजिक अंकेक्षण किया जा रहा है अथवा किया जाना प्रस्तावित है के संबंध में जिन विभागों के शासन सचिव कार्यकारी समिति में सदस्य नहीं है, उन योजनाओं के विभागाध्यक्षगण को कार्यकारी समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जावें। 14.3 अध्यक्ष महोदया कार्यकारी समिति द्वारा सामाजिक अंकेक्षण हेतु आगामी प्रस्तावित योजनाओं के लिए संबंधित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रंमुख शासन सचिव/शासन सचिव को राज्य स्तर परएक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाने हेतु उनकी ओर से पत्र लिखे जाने के निर्देश दिये गए। 14.4 अध्यक्ष महोदया कार्यकारी समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने से पूर्व संबंधित विभाग से अंकेक्षण हेतु सोसायटी द्वारा मांगी गई बजट राशि के प्राप्त होने के बाद ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य प्रारम्भ किये जाने के संबंध में संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को सोसायटी की ओर से अवगत कराया जावें।

अन्त में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

18/8/2025

(सांवर मल वर्मा)
निदेशक, SSAAT

कमांक एफ 61(3) SSAAT/E.C./Meeting/2019/ 1316 – 1359 जयपुर दिनांक 18.08.2025

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. वरिष्ठ शासन उपसचिव, मुख्य सचिव महोदय, अध्यक्ष शासी निकाय, (GB), SSAAT राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

3. शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. शासन सचिव, श्रम व रोजगार विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT), जयपुर।
10. मुख्य लेखाधिकारी, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT), जयपुर।
11. सामाजिक विकास विशेषज्ञ सदस्य, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT), जयपुर।
12. राज्य संसाधन व्यक्ति (समस्त), सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT), जयपुर।
13. प्रोग्रामर, SSAAT, को वेबसाईट पर अपलोड कराने व अन्य निर्देशों की पालना करने हेतु।
14. समस्त सहायक लेखाधिकारी, प्रथम एवं द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार/समस्त शाखा प्रभारी/सलाहकार/सेवानिवृत कार्मिकगण को लिये गये निर्णयों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

18/8/2015

निदेशक, (SSAAT)